214

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग 1726-16

1. देवकी नंदन तनय जबार उर्फ जबाहर साहू
2. रामेश्वर तनय जबार साहू
दोनों नि. ग्रा. सिमरा खुर्द तह. जतारा
जिला टीकमगढ़ .....आवेदक

//विरूद्ध//

धनीराम तनय बल्लू ढीमर
निवासी ग्राम सिमरा खुर्द तह.
जतारा जिला टीकमगढ़ .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 291/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दि. 21–04–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम सिमरा खुर्द भूमि ख.नं. 100/1ख रकवा 0.453 हे0 तथा 105/1 रकवा 0.555 हे0 का पट्टा विचारण न्यायालय तहसीलदार जतारा द्वारा 39/अ–6/1985–86 आदेश दिनांक 29.11.1985 में दखल रहित अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करते हुए आवेदक को दिए गए प्रश्नाधीन भूमि के पट्टे को बिना किसी विधिक आधार के अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में मूल रिकार्ड का अवलोकन किए बिना विवादित भूमि को शासन में दर्ज किए जाने का दूषित आदेश पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा होने के आधार पर विधिवत रूप से वंटन किया गया है वर्ष 1984–85 के खसरा की प्रति दस्तावेज क.1 अवलोकनार्थ संलग्न है। इसके अतिरिक्त आवेदक को विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण क. 29/अ–6–अ/1983–84 आदेश पत्रिका दिनांक 30.03.1984 के तहत धारा 115 में विवादित भूमि पर आवेदकगणों का कब्जा सन् 75–76 से 83–84 तक अंकित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी प्रति दस्तावेज क.2 अवलोकनार्थ संलग्न है। ऐसी स्थिति में बिना किसी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1726/I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सागर के प्र.क्र. 291/निगरानी/2010—11 में पारित आदेश दि० 21—04—2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि ग्राम सिमरा खुर्द की भूमि ख.नं0 100/1ख, रकवा 0.453 हे0 तथा 105/1 रकवा 0.555 हे0 का पट्टा दखल रहित अधिनिमय 1984 के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा वर्ष 1984 में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ—6/1985—86 आदेश दि. 29/11/1985 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 30 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन	

[कृ. प. उ.

R-1726-I-116 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। जबकि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1985 में किया गया है। आवेदक द्वारा वर्ष 1984 के खसरा की प्रति तथा 30.03.1984 को कब्जा दर्ज होने बावत् आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/04/2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जतारू द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/11/1985 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य